नलकूप खंड औरैया

सूचना का अधिकार अधिनियम का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन के संबंध में 16 बिन्दुओं की आख्या

विषय :– श्री हरिपाल सिंह प्रांतीय महामंत्री अखिल भारतीय अनुसूचित/ जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ शाखा उत्तर प्रदेश, 3/6 कैनाल कालोनी हैबलक रोड, लखनऊ द्वारा मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के संबंध में।

कमांक	बिन्दु	उत्तर
1	2	3
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	नलकूप खंड औरैया प्रमुख अभियन्ता यांत्रिक सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता मध्य तथा अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मंडल इटावा के अधीन है जो कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का खंड है। इस खंड के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के रख रखाव का कार्य किया जाता है। कार्यों के सम्पादन हेतु इस खंड में तीन उपखंड कमशः द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ कार्यशील हैं। जिसमें प्रथम उपखंड की स्थापना नहीं है। द्वितीय उपखंड बिधूना, तृतीय उपखंड औरैया व चतुर्थ उपखंड औरैया मुख्यालय पर ही स्थित है। चतुर्थ उपखंड के अन्तर्गत स्टोर एवं कार्यशाला संबंधी कार्य सम्पादित होता है। खंड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन भुगतान शासन द्वारा आवंटित बजट से होता है एंव वेतन का आहरण औरैया कोषागार से होता है।
	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	
2	1. अधिशासी अभियन्ता नलकूप खंड औरैया 2. सहायक अभियन्ता द्वितीय, नलकूप उपखंड बिधूना 3. सहायक अभियन्ता तृतीय, नलकूप उपखंड औरैया 4. सहायक अभियन्ता चतुर्थ नलकूप उपखंड औरैया 5. उपराजस्व अधिकारी 6. जिलेदार द्वितीय नलकूप उपखंड बिधूना 7. जिलेदार तृतीय नलकूप उपखंड औरैया 8. खंडीय लेखाधिकारी 9. अवर अभियन्ता 10. ड्राइंग स्टाफ 11. चतुर्थ श्रेणी	खंड के अन्तर्गत उपखंडों के समस्त कार्यों का नियंत्रण बिधूना तहसील के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का संचालन नियंत्रण एवं रख रखाव का कार्य औरैया तहसील के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का संचालन, नियंत्रण एवं रख रखाव का कार्य नलकूप खंड औरैया के अधीन समस्त राजकीय नलकूपों के संचालन एवं अनुरक्षण कार्य हेतु सामानों की व्यवस्था करना तथा उपकरणों की मरम्मत की कार्यवाही करना। इस खंड के अन्तर्गत उपराजस्व अधिकारी का पद नहीं है। राजस्व संबंधी कार्यों का सम्पादन सिंचाई खंड दिबियापुर के द्वारा देखा जाता है। बिधूना तहसील के समस्त राजकीय नलकूपों के सिंचाई संबंधी कार्यों का संचालन करना औरैया तहसील के समस्त राजकीय नलकूपों के सिंचाई संबंधी कार्यो का संचालन करना इस खंड के अन्तर्गत स्थायी नियुक्त नहीं है। कार्यों का संचालन लेखाधिकारी प्रांतीय खंड औरैया के अधीन है। इस खंड के अन्तर्गत वर्तमान में 08 अवर अभियन्ता के द्वारा जिले के राजकीय नलकूपों का संचालन एवं रखरखाव का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। ड्राइंग संबंधी कार्यों का सम्पादन राजस्व अधिष्ठान, राजस्व संबंधी नलकूप चालकों, सींच पर्यवेक्षक द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों का सम्पादन अधिकारियों द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालना करना, कार्यालय कार्य में सहयोग
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने	उपखंड में कराये जाने वाले कार्यों का निरीक्षण तथा कार्यों का निरीक्षण

	वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मलित हैं	और नलकूपों का संचालन एवं सिविल कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना व कराना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित माप मान	नलकूप खंड औरैया के कार्य क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तथा कृषकों की समस्याओं का समाधान करना।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	नलकूप खंड औरैया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्य करता है। कार्यों का सम्पादन करने के लिए विभाग का मैनुअल है। वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधान एवं शासन व प्रमुख अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी शासनादेश/आदेश का पालन करने हेतु अधीनस्थ उपखंडीय अधिकारियों को निर्देशित कर सुनिश्चित करना। कार्यों का सम्पादन सिंचाई विभाग की विशिष्टियां एवं लागू निर्णय नियमों के अनुरूप कराया जाना एवं कार्यों के अभिलेखों का रख रखाव नियमों के अनुसार किया जाना।
6	ऐसे दस्तावेजों की जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रावर्गों का विवरण	अभिलेखों का वर्गीकरण सिंचाई विभाग मैनुअल निर्धारित अभिलेख वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिए गये प्राविधान के अनुसार कराया जाना।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं	इस खंड के अन्तर्गत प्रत्येक माह के द्वितीय बुधवार को जिला पंचायत सभागार औरैया पर सिंचाई बन्धु की समिति की बैठक आमंत्रित की जाती है। जिसके अन्तर्गत कृषकों की समस्याओं पर उनके विचार विमर्श पर समाधान किया जा सके।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग रूप में या इस बार में सलाह देने के प्रायोजन के लिए गठन किया गया है की क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगीं या ऐसी बैठकों की कार्यवृत्ति तक जनता की पहुंच होगी	जनपद स्तर पर गठित समितियों से संबंधित बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है। ग्राम स्तर पर जल प्रबंधन समिति की बैठकें कर जनता की समस्याओं का समाधान कराया जाता है।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका	कार्यालय दूरभाष – 05683 244399 अधि0अभि0 का मो0नं0 – 9454415220 सहा0 अभि0 तृतीय/द्वितीय मो0नं0 – 9454415214 सहा0अभि0 चतुर्थ मो0नं0 – 9454415213 **<u>मो0 नं0 अवर अभियन्ता :–</u>** आर के उपाध्याय – 9454415216 अमर सिंह – 9454415218 लाल सिंह – 9454415217 अरूण कुमार लखनपाल – 9454415544 आर के पाल – 9454415215 सुघर सिंह – 9454415219 रामप्रकाश – मिजाजी लाल – 9454415223
10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मलित है	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के आधार पर है।

		पद	वेतनमान
		अधिशासी अभियन्ता	15600–39100
		सहायक अभियन्ता	15600–39100
		अवर अभियन्ता	9300–34800
		वरिष्ठ सहायक	5200–20200
		वरिष्ठ लिपिक	5200–20200
		कनिष्ठ लिपिक	5200–20200
		सर्वेयर	5200–20200

		वाहन चालक	5200—20200
		जिलेदार	5200—20200
		सींच पर्यवेक्षक	5200—20200
		न0 चालक	5200—20200
		स्टोर अटेंडेंट	4440—7440
		मेठ	4440—7440
		चपरासी	4440—7440
		धावक	4440—7440
		पानीवाला	4440—7440
		चौकीदार	4440—7440
		वर्कन्दाज	4440—7440
		मुंशी	5200—20200
		सै0 मिस्त्री	5200—20200
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों को प्रदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	अनुदान संख्या 95 के अन्तर्गत वेतन, महगाई भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, विद्युत, दूरभाष, गाडियों का अनुरक्षण आदि मदों में प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा बजट आवंटित होता है। राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण के रख रखाव आदि अनुदान 94 के अन्तर्गत बजट आवंटित होता है। विभिन्न योजनाओं से संबंघित बजट लेखा शीर्षक 94 में आवंटित होते हैं।	
12	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहयों के व्यौरे सम्मलित हैं	इस तरह की कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।	
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायती अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां	इस तरह की कोई व्यवस्था विभाग में नहीं है।	
14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में व्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके धारित हों	विभाग में कम्प्यूटर उपलब्ध है, इन्टरनेंट चालू स्थिति में है।	
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मलित हैं	भारत का कोई भी नागरिक वांछित सूचना कार्यालय से नियमानुसार किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकता है तथा फोन से सूचना प्राप्त कर सकता है।	
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नलकूप खंड औरैया में जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नामित हैं। निम्न हैं :— 1. श्री एस के शर्मा अधिशासी अभियंता अपीलीय अधिकारी नलकूप खंड औरैया 2. श्री सुदर्शन प्रसाद, सहायक अभियन्ता, तृतीय, जनसूचना अधिकारी नलकूप खंड औरैया।	

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खंड औरैया

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खंड औरैया

पत्रांक :–   /नखऔ/जनसूचना/   दिनांक :–

विषय :– श्री हरिपाल सिंह प्रांतीय महामंत्री अखिल भारतीय अनुसूचित/ जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ शाखा उत्तर प्रदेश, 3/6 कैनाल कालोनी हैबलक रोड, लखनऊ द्वारा मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के संबंध में।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप मध्य) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपरोक्त विषयक 16 बिन्दुओं की सूचना निर्धारित प्रारूप पर आख्या सहित हार्डकापी एवं सीडी में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप खंड औरैया